(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 72/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक, 16 अगस्त, 2017

सा0का0नि0 - (अ) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 जिसे सा0का0नि0 124(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i)में प्रकाशित किया गया था, अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होतेहुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततदद्वारा, एतिश्मन संग्लन सारणी के कालम (1) में वर्णित वस्तुओं को उस हद तक सीमा शुल्क के भुगतान से छूट देती है जिस हद तक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उनपर लगाया जाता है, जैसा कि उक्त सारणी के कालम 3 में विनिर्दिष्ट है और साथ ही इनको उस संपूर्ण एकीकृत कर से भी छूट प्रदान करती है जो कि उनपर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाया जाता है बशर्तेकि कालम 2 में विनिर्दिष्ट सीमाएं और शर्तें पूरी होती हों -

माल का विवरण	**सीमाएं और शर्तें**	**छूट की सीमा**
(1)	(2)	(3)
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84,85,90 या अन्य किसी अध्याय में आने वाली मशीनरी, उपकरण या औजार	(1) आयात के पश्चात आयातकर्ता द्वारा माल को पटटे पर लिया गया हो; (2) आयातकर्ता माल के आयात के समय यह घोषणा करता है कि माल का आयात अनुबंध को पुरा करने के लिए अस्थायी तौर पर किया जा रहा है;	यदि- (1) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से तीन महीने के भीतर होता है तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी की वह 5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो; (2) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से तीन महीने के पश्चात

	(3) ऐसी मशीनरी या उपकरण , उपकरण या औचार का आयात केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की अनुसूची के खंड 1 के मद(ख) या खंड (5) मे मद (च) के अंतर्गत आते हों; (4) उक्त माल का ऐसे निर्यात की तारीख के तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उक्त आयात की तारीख से 18 मास से अधिक की नहीं है जो यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त अनुज्ञात करे; (5) जहां यथास्थिति , सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त पुन: निर्यात के लिए पुर्वोक्त अवधि का विस्तारण करता है वहां आयातकर्ता स्तंभ (3) में सुसंगत खंड के अीन संदेय शुल्क और उनके आयात के समय पहले से संदत्त शुल्क के बीच अंतर का संदाय करेगा; (6) आयातकर्ता बैक गारंटी के साथ बंध पत्र जारी करके अपने को निम्न के लिए प्रतिबंध करता हो– (क) उन सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत लगने वाले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची ।। के मदों 1 (ख) या 5 (च) के अंतर्गत आती हों; (ख) आयात की तारीख से तीन महीने के भीतर या उपर्युक्त बढाई	लेकिन छह महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी की वह 15 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो; (3) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से छह महीने के पश्चात लेकिन 9 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 25 प्रतिशत की दर संगणित राशि से अधिक हो; (4) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 9 महीने के पश्चात लेकिन 12 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 30 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो; (5) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 12 महीने के पश्चात लेकिन 15 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितने कि वह 35 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो; (6) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 15 महीने के पश्चात लेकिन 18 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 40 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो; जो इस प्रकार प्रभार्य शुल्क की बाबत तत्समय प्रवृत किसी अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय होगा ।

	हुई अवधि के भीतर माल का पुन: निर्यात करना; (ग) पुन:निर्यात के पहले पहचान के लिए माल को सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उपआयुक्त, सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत करना ; (घ) यदि माल का निर्धारित अवधि के भीतर पुन: निर्यात नहीं होता है तो उक्त आयात के आयात की तारीख और जिस तारीख को शुल्क का भुगतान किया गया है उसके बीच की अवधि तक का बाकी सीमा शुल्क और ब्याज का भुगतान उस दर से करना पड़ेगा जो दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके तय की गई हो ; और (ड.) उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि का मांग किए जाने पर भुगतान करना ।	

नोट: इस रियायत के तहत आयात किए जाने वाले माल पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रति अदायगी नहीं मिलेगी ।

(फा सं0 354/186/2017- टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार